रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73 REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 189] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 1983/वैशाख 1, 1905
No. 189] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 1983/VAISAKHA 1, 1905
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1983

का. आ. 325(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं. 4/3/73-वक्फ, तारीख 30 दिसम्बर, 1975 के साथ पठित वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का 29) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब वक्फ नियम, 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पंजाब वक्फ (संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पंजाब वक्फ नियम, 1964 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम 8 में,—

(क) उप-नियम (1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसे विज्ञापन और सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए किसी अभ्यर्थी के चयन के लम्बित रहने के दौरान, सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि बोर्ड के हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो, किसी ऐसे व्यक्ति को जो उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं पूरी करता है और जो उसकी राय में बोर्ड का सचिव होने के लिए उपयुक्त है, बोर्ड से परामर्श करके (पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर) नियुक्त कर सकेगी और इस परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति इस नियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो उसकी नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उस अवधि की समाप्ति तक जिसके लिए उसकी इस प्रकार नियुक्ति की जाती है या उस तारीख तक जिसको पूर्वोक्त विज्ञापन के अनुसरण में चयन किया गया अभ्यर्थी अपना पद ग्रहण करता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो उस तक, पद धारण करेगा।";

(ख) उप-नियम (12) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु सरकार भी सचिव को तीन मास के लिए या उसकी पदावधि की अवसित अवधि के लिए, इनमें से जो भी कम हो उसके लिए, वेतन का संदाय करके, उसकी सेवाएं समाप्त कर सकेगी ।" ।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से
और उनके नाम से,
[सं. 4(9)/81-वक्फ]
एन. आर. सुब्रह्मण्यन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, 21st April, 1983

S.O. 325(E).—In exercise of the powers conferred by section 67 of the Wakf Act, 1954 (29 of 1954) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No. 4/3/73-Wakf dated the 30th December, 1975 issued under sub-section (1) of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Punjab Wakf Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the Punjab Wakf (Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 8 of the Punjab Wakf Rules, 1964 (hereinafter referred to as the principal rules),—

(a) In sub-rule (1), the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided that pending such advertisement and selection of a candidate for appointment to the post of Secretary, the Government may, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of the Board, appoint (whether on whole-time or part-time basis) in consultation with the Board any person who fulfils the qualifications specified in sub-rule (2) and who in its opinion is suitable to be the Secretary of the Board, and a person so appointed in accordance with the provisions of this proviso shall notwithstanding anything in any other provision of this rule, hold office on such terms and conditions as may be specified in the order of his appointment till the expiry of the period for which he is so appointed or till the date on which the candidate selected in pursuance of the advertisement aforesaid takes charge of the office, whichever is earlier.";

(b) to sub-rule (12), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that the Government may also terminate the services of the Secretary by paying him salary for three months or for the unexpired period of the term of his office, whichever is less."

By order and in the name of the
President of India.
[No. 4(9)/81-Wakf]
N. R. SUBRAMANYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983